



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

## स्वकेन्द्र प्रणाली व्यवस्था समाप्त करने सम्बन्धी नियम

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों की परीक्षा वर्ष 2018 में स्वकेन्द्र प्रणाली समाप्त की जाती है, इस संदर्भ में परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न नियम प्रभावी होंगे—

### (क) परीक्षा केन्द्र के मानक

1. प्रतिपाली न्यूनतम 500 परीक्षार्थियों की मानकानुसार परीक्षा की अवस्थापना सम्बन्धी सुविधा रखने वाले महाविद्यालय ही परीक्षा केन्द्र होंगे।
2. परीक्षा होने वाले समस्त कक्षों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिये।
3. परीक्षा केन्द्र हेतु सबल कक्ष (स्ट्रांग रूम) में चैनल सहित मजबूत दरवाजा, ग्रील लगी खिड़की, डबल लाक सेफ आवश्यक होगा।
4. परीक्षा कराने वाले कक्षों, सबल कक्ष एवं केन्द्राध्यक्ष कक्ष में सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा अनिवार्य होगा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे को सुचारु रूप से चालू रखना अनिवार्य होगा।
5. परीक्षा केन्द्र तक आसानी से चार पहिया वाहन पहुँचने का प्रशस्त मार्ग आवश्यक होगा।
6. बिजली/जनरेटर के माध्यम से सुचारु विद्युत आपूर्ति एवं स्वच्छ पीने योग्य पानी की व्यवस्था आवश्यक होगी।
7. परीक्षा केन्द्र, प्राचार्य एवं प्रबन्धक का ई-मेल आवश्यक होगा।
8. परीक्षा के दौरान प्रतिदिन 24 घंटे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अथवा सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी एवं उसका नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. किसी एक प्रबन्ध तंत्र का महाविद्यालय उसी प्रबन्ध तंत्र के अन्य महाविद्यालय पर परीक्षा केन्द्र नहीं होगा।
10. पूर्व परीक्षा वर्ष-2016 एवं वर्ष-2017 में नकल में आरोपित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष, किसी भी परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष नहीं होंगे।
11. परीक्षा के दौरान आवश्यकतानुसार कक्ष परिप्रेक्षक का कार्य आस-पास के हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट कालेज एवं अन्य महाविद्यालय के, शिक्षकों/सेवानिवृत्त शिक्षकों से लिया जा सकेगा, किन्तु इनकी सूची को विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।
12. विश्वविद्यालय के पास विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार किसी भी महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने/निरस्त/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं कक्ष परिप्रेक्षक के सम्बन्ध में परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु किसी भी अन्य व्यवस्था को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. केन्द्राध्यक्ष को छोड़कर किसी भी व्यक्ति (कक्ष परिप्रेक्षक/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी/परीक्षार्थी) के लिये परीक्षा अवधि में मोबाइल रखना प्रतिबन्धित होगा।

(ख) समयबद्ध कार्य योजना

1. समस्त महाविद्यालयों की सूची, न्यूनतम 3 वर्ष तक के कुल अनुभव वाले कार्यवाहक प्राचार्य एवं प्रबन्धक की सूची नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पता सम्बद्धता विभाग द्वारा समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. सभी महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र के मानक सम्बन्धी संलग्न प्रारूप पर 30 नवम्बर तक सभी सूचनायें समिति को हार्ड कापी (परीक्षा नियंत्रक, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर पते पर) एवं साफ्ट कापी (ईमेल : **ddugueexam2018@gmail.com** पर) उपलब्ध करानी होंगी। जिस महाविद्यालय से उपर्युक्त सूचना तय अवधि में प्राप्त नहीं होगी, तो वह महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र नहीं बन सकेगा।
3. सभी महाविद्यालयों को 30 नवम्बर, 2017 तक अपने महाविद्यालय के 15 किमी परिक्षेत्र में स्थापित महाविद्यालयों की सूची जिसमें महाविद्यालयों के नाम के आगे सम्बन्धित महाविद्यालय से दूरी अलग-अलग देनी होगी।
4. 5 दिसम्बर, 2017 से 20 दिसम्बर, 2017 तक आवश्यकतानुसार सम्भावित परीक्षा केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।
5. 30 दिसम्बर, 2017 तक प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी कर दी जायेगी तथा 10 जनवरी, 2018 तक कोई भी महाविद्यालय, यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज करा सकेगा।
6. तत्पश्चात्, समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों की अन्तिम सूची जारी की जायेगी।

(ह0)

परीक्षा नियंत्रक



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

## परीक्षा वर्ष 2018 हेतु सूचना प्रपत्र

निर्देश : इसकी प्रिंट प्रति (कापी) परीक्षा नियंत्रक, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पते प्रेषित करना होगा। इसकी साफ्ट कापी [ddugueexam2018@gmail.com](mailto:ddugueexam2018@gmail.com) पर ईमेल करना होगा।

1.	महाविद्यालय का नाम				
2.	महाविद्यालय का पूरा पता				
3.	महाविद्यालय का ई-मेल				
4.	एक पाली में परीक्षा सम्पन्न कराने की क्षमता (कुल परीक्षार्थियों की संख्या)				
5.	कक्षाओं की संख्या एवं प्रत्येक कक्षा की क्षमता (परीक्षार्थियों की संख्या)	कक्षा 1:	कक्षा 6:	कक्षा 11:	कक्षा 16:
		कक्षा 2:	कक्षा 7:	कक्षा 12:	कक्षा 17:
		कक्षा 3:	कक्षा 8:	कक्षा 13:	कक्षा 18:
		कक्षा 4:	कक्षा 9:	कक्षा 14:	कक्षा 19:
		कक्षा 5:	कक्षा 10:	कक्षा 15:	कक्षा 20:
6.	सम्भावित कक्षा परिप्रेक्षण करने वाले शिक्षकों के नाम एवं मोबाईल नम्बर	सूची संलग्न करें (संलग्नक - 1)			
7.	परीक्षा के समय कक्षा परिप्रेक्षण हेतु आसपास के हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट कालेज के शिक्षक अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों की सम्भावित उपलब्धता का विवरण	सूची संलग्न करें (संलग्नक - 2)			
8.	प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य एवं वरिष्ठतम आचार्य का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ई-मेल एड्रेस सहित (कार्यवाहक प्राचार्य हेतु प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव एवं अनुभव प्रमाण पत्र सहित)	सूची संलग्न करें (संलग्नक - 3)			
9.	प्रबन्धक का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ई-मेल एड्रेस सहित				
10.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों/सुरक्षा गार्डों का विवरण (नाम, पता, मोबाईल नम्बर) जिनसे परीक्षा कार्य में सहयोग लिया जायेगा।	सूची संलग्न करें (संलग्नक - 4)			
11.	सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाए जाने का प्रमाण सहित विवरण	सूची संलग्न करें (संलग्नक - 5)			
12.	विद्युत आपूर्ति का विवरण				
13.	महाविद्यालय के 15 किमी परिक्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों का नाम, पता सहित विवरण एवं महाविद्यालय से उनकी दूरी	सूची संलग्न करें (संलग्नक - 6)			
14.	(क) महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में विषयवार छात्रों की संख्या (ख) महाविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में विषयवार छात्रों की संख्या	सूची संलग्न करें (संलग्नक - 7)			

प्रबन्धक का हस्ताक्षर .....  
प्रबन्धक का नाम.....

प्राचार्य का हस्ताक्षर.....  
प्राचार्य का नाम.....